हॉर्नबिल फेस्टिवल

❖ सन्दर्भ

➢नागालैंड में हॉर्नबिल उत्सव स्थल से भारत की G20 अध्यक्षता का शुभारम्भ हुआ।

हॉर्नबिल महोत्सव

- हॉर्नबिल महोत्सव पूर्वोत्तर भारतीय राज्य नागालैंड में 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाने वाला एक वार्षिक उत्सव है।
- यह महोत्सव पहली बार 2000 में सांस्कृतिक प्रदर्शनियों के मिश्रण के रूप में आयोजित किया गया था। इस वर्ष का उत्सव इसका 23वां संस्करण होगा।
- इसका नाम भारतीय हॉर्नबिल के नाम पर रखा गया है। यह नागालैंड की लोककथाओं का एक पक्षी है जिसे प्रायः राज्य के जंगलों में देखा जाता है।
- यह उत्सव नागालैंड सरकार द्वारा अंतर-जनजातीय संपर्क को प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित किया जाता है।
- यह सांस्कृतिक प्रदर्शनों का मिश्रण को प्रदर्शित करता है तथा इसका उद्देश्य संस्कृति का रक्षण तथा उसे पुनर्जीवित करना है।
- उत्सव में नृत्य प्रदर्शन, शिल्प, परेड, खेल, भोजन मेले, धार्मिक समारोह इत्यादि सम्मिलित हैं।
- इसमें पारंपरिक नागा मोरंग्स प्रदर्शनी और कला और शिल्प की बिक्री, हर्बल मेडिसिन स्टॉल, फ्लावर शो और बिक्री, सांस्कृतिक मेडले, नागा कुश्ती इत्यादि भी सम्मिलित किये जाते हैं।

ग्रेट हॉर्नबिल बर्ड

- हॉर्नबिल्स (ब्यूसेरोटिडे) उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय अफ्रीका, एशिया और मेलानेशिया में पाए जाने वाले पक्षियों का एक परिवार है।
- भारत, हॉर्नबिल की नौ प्रजातियों का घर है।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारत के भीतर हॉर्नबिल प्रजातियों की सबसे अधिक विविधता है।
- द ग्रेट हॉर्नबिल एक रंगीन पक्षी है जो भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है ।
- उनकी एक लंबी, नीचे की ओर मुड़ी हुई चोंच होती है जो प्रायः चमकीले रंग की होती है। कभी-कभी ऊपरी जबड़े पर एक आवरण होता है।
- ग्रेट हॉर्नबिल, अरुणाचल प्रदेश और केरल का राज्य पक्षी है।

आहार- शाकाहारी, फ्रुजीवोर।

संकट

- ग्रेट हॉर्नबिल को मुख्य रूप से वनों की कटाई के कारण निवास स्थान के नुकसान का खतरा है।
- इसका शिकार इसके मांस, चर्बी और शरीर के अंगों जैसे आवरण और पूंछ के पंखों के लिए किया जाता है, जिनका उपयोग श्रंगार के रूप में किया जाता है।

संरक्षण की स्थिति

- IUCN लाल सूची- संवेदनशील
- WPA 1972 - अनुसूची I

व्यक्तित्व का अधिकार

❖ सन्दर्भ

➢ हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक बॉलीवुड अभिनेता के नाम, छवि और आवाज के गैरकानूनी उपयोग को रोकने के लिए एक अंतरिम आदेश पारित किया।

क्या हैं व्यक्तित्व का अधिकार ?

- यह किसी व्यक्ति के अपने व्यक्तित्व की रक्षा के अधिकार को संदर्भित करता है उदाहरणस्वरूप - निजता या संपत्ति का अधिकार।
- अद्वितीय व्यक्तिगत विशेषताओं की एक बड़ी सूची एक सेलिब्रिटी बनाने में योगदान करती है।
- इन सभी विशेषताओं यथा नाम, उपनाम, मंच चित्र, समानता, छवि और कोई भी पहचान योग्य व्यक्तिगत संपत्ति को संरक्षित करने की आवश्यकता है, ।

● निजता का अधिकार -

- इस अधिकार के अंतर्गत अनुमति के बिना, किसी के व्यक्तित्व को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित नहीं करने का अधिकार आता है।

छोड़ने का अपकृत्य (टॉर्ट ऑफ़ पासिंग ऑफ)

- सामान्य कानून के अधिकार क्षेत्र के तहत, प्रचार

- ये अधिकार मशहूर हस्तियों के लिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि बिक्री को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कंपनियों द्वारा विभिन्न विज्ञापनों में उनके नाम, फोटो या यहां तक कि आवाज का आसानी से दुरुपयोग किया जा सकता है।
- इसलिए, प्रसिद्ध व्यक्तित्वों/मशहूर हस्तियों के लिए अपने व्यक्तित्व अधिकारों को बचाने के लिए अपना नाम पंजीकृत कराना आवश्यक है।

व्यक्तित्व अधिकार बनाम प्रचार अधिकार

● व्यक्तित्व अधिकारों में दो प्रकार के अधिकार शामिल होते हैं

प्रचार का अधिकार -

- यह अधिकार अनुमति या संविदात्मक मुआवजे के बिना किसी की छवि और समानता को व्यावसायिक रूप से शोषण किए जाने से बचाने का अधिकार है।
- हालाँकि यह ट्रेडमार्क के समान नहीं है।

अधिकार 'छोड़ने का अपकृत्य' के दायरे में आते हैं।

- पासिंग ऑफ तब होता है जब कोई जानबूझकर या अनजाने में अपने सामान या सेवाओं को किसी अन्य पार्टी से संबंधित के रूप में पास करता है।
- अक्सर, इस प्रकार की गलतबयानी किसी व्यक्ति या व्यवसाय की साख को नुकसान पहुँचाती है, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय या प्रतिष्ठा संबंधी क्षति होती है।
- ● प्रचार का अधिकार , ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 और कॉपीराइट अधिनियम 1957 जैसी विधियों द्वारा शासित होते हैं।

यूसीबी के लिए चार स्तरीय ढांचा

❖ **सन्दर्भ**

➢ भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) के वर्गीकरण के लिए चार-स्तरीय नियामक ढांचे की घोषणा की है। इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जायेगा।

प्रमुख बिंदु

- मौजूदा नियामक ढांचा यूसीबी को दो स्तरों - टियर I और टियर II में वर्गीकृत करता है।
- नवीन ढांचा यूसीबी की जमा राशि के आकार पर आधारित है ।

वर्गीकरण

टियर I यूसीबी	● सभी यूनिट यूसीबी। ● वेतनभोगी यूसीबी (जमा राशि पर ध्यान दिए बिना)। ● अन्य सभी शहरी सहकारी बैंक जिनके पास ₹100 करोड़ की जमा है ।
टियर II यूसीबी	₹100 करोड़ से अधिक और ₹1,000 करोड़ तक जमा वाले ।
टियर III यूसीबी	₹1,000 करोड़ से अधिक और ₹10,000 करोड़ तक जमा वाले ।
टियर IV यूसीबी	₹10,000 करोड़ से अधिक जमा वाले ।

● यदि कोई यूसीबी किसी वर्ष में जमा में वृद्धि के कारण ऊपरी वर्गीकरण पर जाता है, तो उसे उच्च विनियामक आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए अधिकतम तीन वर्षों तक का ग्लाइड पाथ प्रदान किया जा सकता है।

● आरबीआई ने इन बैंकों की निवल संपत्ति और पूंजी पर्याप्तता से संबंधित मानदंड भी बनाए हैं।

न्यूनतम नेट वर्थ आवश्यकता

टियर I यूसीबी	**2 करोड़**
टियर II , टियर III, टियर IV	**5 करोड़**

जोखिम-भारित आस्तियों के अनुपात की आवश्यकता के लिए न्यूनतम पूंजी

टियर I यूसीबी	**9 %**
टियर II , टियर III, टियर IV	**12 %**

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com

पुनर्योजी कृषि

❖ सन्दर्भ

➢ हाल ही में इस शब्द ने उत्पादकों, नीति निर्माताओं, वैज्ञानिकों और उपभोक्ताओं सहित सभी हितधारकों का ध्यान आकर्षित किया है।

पृष्ठभूमि :-

- "जलवायु परिवर्तन और भूमि" पर जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल (IPCC) की रिपोर्ट में पुनर्योजी कृषि के महत्व पर भी जोर दिया गया है।
- रिपोर्ट ने पुनर्योजी कृषि को 'स्थायी भूमि प्रबंधन अभ्यास' के रूप में सूचीबद्ध किया है।
- अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिकों के अनुसार, अगले 50 वर्षों में कृषि योग्य पर्याप्त मृदा के अभाव की सम्भावना व्यक्त की गई है।
- मौजूदा सघन कृषि प्रणाली के कारण मृदा क्षरण हो रहा है तथा निरन्तर मृदा का निम्नीकरण हो रहा है।
- वैश्विक खाद्य सुरक्षा , ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने, तथा जैव विविधता के निम्नीकरण को रोकने के लिए चार अरब एकड़ से अधिक कृषि भूमि पर मिट्टी को पुनर्जीवित करना आवश्यक है।

पुनर्योजी कृषि अभ्यास के बारे में

- पुनर्योजी कृषि को कई नामों से जाना जाता है। इसे कृषि-पारिस्थितिक खेती, वैकल्पिक कृषि, जैव-गतिशील कृषि, कार्बन कृषि, समावेशी प्रकृति, संरक्षण कृषि, हरित कृषि, जैविक पुनर्योजी कृषि, सतत कृषि के रूप में भी जाना जाता है।
- पुनर्योजी कृषि एक समग्र प्रणाली दृष्टिकोण को स्वीकार करती है जिसमें मृदा की उर्वरता तथा पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में सुधार के लिए जानवरों, किसानों और समुदायों को सम्मिलित किया जाता है।
- यह लचीलेपन के दृष्टिकोण को स्थापित कर जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप होने वाले चरम मौसमी प्रभावों को कम करता है।
- इस कृषि "स्वस्थ मिट्टी वह नींव है जो मिट्टी में रहने वाले पौधों और मिट्टी के सूक्ष्मजीवों के बीच सहजीवी संबंध को सक्षम बनाती है" के दर्शन पर आधारित है।
- पौधे, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, तरल कार्बन प्रदान करते हैं जो मिट्टी के रोगाणुओं को खिलाते हैं।
- सूक्ष्मजीव पौधों को पोटैशियम, आयरन, कैल्शियम और अन्य पोषक तत्व प्रदान करते हैं जो उन्हें बढ़ने और स्वस्थ रहने में मदद करते हैं।
- यह भूमि को बाढ़ और सूखे से भी बचाता है और उच्च पोषक घनत्व वाली फसलें प्रदान करता है।

पुनर्योजी बनाम संरक्षण कृषि

- संरक्षण कृषि स्थायी भूमि प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और शमन का समर्थन करती है।
- यह 20 से 50% श्रम-गहनता को कम करती है तथा निम्न ऊर्जा इनपुट और बेहतर पोषक उपयोग दक्षता के माध्यम से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में योगदान देती है।
- यह मृदा स्थिरीकरण में सहयोगी है तथा वायुमंडल में कार्बन विनिर्मुक्ति को प्रतिबंधित करता है।
- यह निम्नलिखित तीन सिद्धांतों पर आधारित है -

1. संरक्षण जुताई के माध्यम से मिट्टी के वितरण को न्यूनतम करना।
2. पोषक तत्वों की भरपाई करने और कीट और रोग के जीवन चक्र को बाधित करने के लिए फसलों में विविधता लाना।
3. आच्छादित फसलों का उपयोग करके मृदा आच्छादन को बनाए रखना।

● पुनर्योजी कृषि उपरोक्त सिद्धांतो के अतिरिक्त पशुधन को एकीकृत करने एक अन्य सिद्धांत का पालन करती है। पशुधन मृदा में प्राकृतिक खाद के स्रोत तथा कार्बन सिंक के रूप में कार्य करता है।

पुनर्योजी बनाम सतत कृषि

- परिभाषा के अनुसार, सतत कृषि का अर्थ वर्तमान में प्राकृतिक प्रणालियो को प्रभावित किये बिना पुनरुत्पादक प्रथाओ का अभ्यास है।
- इस प्रकार, यह बेहतर उत्पादकता के लिए व्यवस्था को बहाल करने के लिए प्रबंधन तकनीकों को लागू करता है।

संक्षिप्त सुर्खियां

डिजीयात्रा

❖ **सन्दर्भ**

➢ हाल ही में, सरकार ने हवाई यात्रा को सहज बनाने के लिए चुनिंदा हवाईअड्डों पर पेपरलेस एंट्री शुरू की है।

❖ **मुख्य विशेषताएं**

- ➢ इस पहल के तहत, हवाईअड्डे पर प्रवेश के लिए 'डिजीयात्रा' नामक चेहरे की पहचान करने वाले सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जायेगा। अर्थात , यात्रियों को अपना आईडी कार्ड और बोर्डिंग पास ले जाने की जरूरत नहीं होगी।
- ➢ डिजीयात्रा की परिकल्पना इस सिद्धांत पर आधारित है कि , यात्री अपनी पहचान स्थापित करने के लिए चेहरे की विशेषताओं का उपयोग करते हुए कागज रहित और संपर्क रहित प्रसंस्करण के माध्यम से हवाई अड्डे पर विभिन्न चौकियों से गुजरेंगे , जो बोर्डिंग पास से जुड़ा होगा।
- ➢ इस तकनीक के साथ, हवाईअड्डे, सुरक्षा जांच क्षेत्रों, विमान बोर्डिंग आदि में प्रवेश सहित सभी चेकपॉइंट्स पर चेहरे की पहचान प्रणाली के आधार पर यात्रियों के प्रवेश को स्वचालित रूप से संसाधित किया जाएगा।
- ➢ यह सुविधा दिल्ली के टर्मिनल 3, बेंगलुरु और वाराणसी हवाई अड्डों पर घरेलू उड़ानें लेने वाले यात्रियों के लिए उपलब्ध होगी।
- ➢ बाद में, अन्य सभी हवाईअड्डों पर डिजीयात्रा तेजी से शुरू की जाएगी। यह परियोजना डिजीयात्रा फाउंडेशन द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।

डिजीयात्रा फाउंडेशन

- ➢ यह एक संयुक्त उद्यम कंपनी है जिसके शेयरधारक भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (26% हिस्सेदारी) और बेंगलुरु हवाई अड्डा, दिल्ली हवाई अड्डा, हैदराबाद हवाई अड्डा, मुंबई हवाई अड्डा और कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैं।
- ➢ इन पांच शेयरधारकों के पास शेष 74% शेयर समान रूप से हैं।

वासेनार व्यवस्था

❖ **सन्दर्भ**

➢ हाल ही में, विदेश मंत्रालय ने यह सूचित किया है कि , भारत अगले महीने की पहली तारीख (1 जनवरी 2023) को वासेनार व्यवस्था की अध्यक्षता ग्रहण करेगा।

❖ **वासेनार व्यवस्था**

- ➢ वासेनार व्यवस्था एक बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था (एमईसीआर) है जो पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग वाले प्रौद्योगिकियों के निर्यात नियंत्रण पर लागू होती है ।
- ➢ यह निकाय अपने सदस्यों के बीच सूचना के नियमित आदान-प्रदान के माध्यम से पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं और प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने के लिए काम करता है।

- ➢ यह नाम 'द हेग' के एक उपनगर वासेनार से आया है। यहाँ 1995 में बहुपक्षीय सहयोग को शुरू करने का समझौता किया गया था।
    - ➢ यह समझौता 1996 में स्थापित हुआ।

➢ प्रतिभागी देश - 42 , भारत दिसंबर 2017 में वासेनार व्यवस्था में 42वें भागीदार राज्य के रूप में सम्मिलित हुआ।

➢ वासेनार अरेंजमेंट का मुख्य निर्णयात्मक निकाय प्लेनरी है जो आम सहमति पर काम करता है।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
Securities and Exchange Board of India

❖ सन्दर्भ

➢ हाल ही में, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसईएल) घोटाले में उनकी कथित संलिप्तता के लिए पांच कमोडिटी ब्रोकर्स को नया पंजीकरण प्राप्त करने से प्रतिबंधित कर दिया।

❖ **मुख्य विशेषताएं**

- ○ यह भारत सरकार के स्वामित्व की निकाय है जो भारत में प्रतिभूति और वस्तु बाजार का नियामक है।
- ○ इसे 1988 में स्थापित किया गया था और सेबी अधिनियम, 1992 के माध्यम से इसे वैधानिक दर्जा दिया गया था।
- ○ सेबी तीन समूहों की जरूरतों के लिए जिम्मेदार है:
    - ■ प्रतिभूतियों के जारीकर्ता।
    - ■ निवेशक।
    - ■ बाजार मध्यस्थ।

➢ **कार्य:**

- ■ अर्ध-विधायी - मसौदा नियम का निर्माण।
- ■ अर्ध-न्यायिक - निर्णय और आदेश करना
- ■ अर्ध-कार्यकारी - जांच और प्रवर्तन कार्रवाई आयोजित करता है।

❖ **शक्तियाँ**

- ➢ प्रतिभूति एक्सचेंजों के उप-नियमों को अनुमोदित करना।
- ➢ प्रतिभूति एक्सचेंज को अपने उपनियमों में संशोधन करना।
- ➢ खातों की पुस्तकों का निरीक्षण करें और मान्यता प्राप्त प्रतिभूति एक्सचेंजों से आवधिक रिटर्न की व्यवस्था करना।
- ➢ वित्तीय मध्यस्थों के खातों की पुस्तकों का निरीक्षण करना।

» कुछ कंपनियों को एक या अधिक प्रतिभूति एक्सचेंजों में अपने शेयरों को सूचीबद्ध करने के लिए बाध्य करना।

➢ दलालों और उप-दलालों का पंजीकरण करना।

श्वेत पत्र प्रतिरोध

❖ प्रसंग

➢ हालिया समय में चीन के शहरों में चीन की 'शून्य-कोविड नीति' के खिलाफ विरोध की लहरें देखी जा रही हैं।

❖ मुख्य बिंदु

➢ इस आंदोलन को व्यापक रूप से 'श्वेत पत्र क्रांति' करार दिया जा रहा है। क्योंकि इन विरोध प्रदर्शनों के दौरान कई प्रदर्शनकारियों को सफेद ए4 आकार के कागज की खाली शीट पकड़े हुए देखा गया है। हालाँकि यह आंदोलन, अब केवल चीन तक ही सीमित नहीं है।
> यह चीन में 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के हनन' का प्रतीक बन गया है।

➢ नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत प्रतिबंधित नारों से बचने के लिए 2020 में हांगकांग में पहले विरोध के संकेत के रूप में श्वेत पत्र का उपयोग किया गया था।

➢ चीन में श्वेत रंग अंतिम संस्कार का रंग है और प्रदर्शनकारी इसका उपयोग विरोध प्रदर्शनों में खोए हुए लोगों के शोक के लिए भी कर रहे हैं।
> यूक्रेन के साथ रूस के युद्ध का विरोध करने के लिए मॉस्को में प्रदर्शनकारियों ने इस साल भी उनका इस्तेमाल किया है।

➢ सोशल मीडिया साइट्स पर यह आंदोलन "A4Revolution " के नाम से ट्रेंड कर रहा है।

'फाइव S ' दृष्टिकोण

❖ सन्दर्भ

➢ भारत ने 1 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) की मासिक अध्यक्षता ग्रहण की है।

❖ **मुख्य बिंदु**

» 2021-22 में परिषद के निर्वाचित सदस्य के रूप में अपने दो वर्ष के कार्यकाल में भारत ने दूसरी बार मासिक अध्यक्षता ग्रहण की है।
> भारत के प्राथमिकता वाले मुद्दों को "फाइव एस" दृष्टिकोण द्वारा निर्देशित किया गया है -

- सम्मान
- संवाद
- सहयोग
- शांति
- समृद्धि

➢ UNSC की भारत की दिसंबर अध्यक्षता के तहत, मंत्रिस्तरीय स्तर पर दो कार्यक्रम हस्ताक्षरित किये जाने हैं

"अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के रखरखाव: सुधारित बहुपक्षवाद के लिए नई दिशा" -

- भारत "अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के रखरखाव: सुधारित बहुपक्षवाद के लिए नई दिशा" (NORMS) पर "उच्च स्तरीय खुली बहस" आयोजित करेगा।
- यह वर्तमान बहुपक्षीय संरचना में सुधार की परिकल्पना करता है, जिसके केंद्र में संयुक्त राष्ट्र है, ताकि इसे और अधिक प्रतिनिधि और उद्देश्य के लिए उपयुक्त बनाया जा सके।

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com

	आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए वैश्विक दृष्टिकोण - चुनौतियां और आगे का रास्ता" • "आतंकवादी कृत्यों के कारण अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरे: आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए वैश्विक दृष्टिकोण - चुनौतियां और आगे का रास्ता" विषय पर उच्च स्तरीय ब्रीफिंग। • इस ब्रीफिंग का उद्देश्य आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए सामूहिक और समन्वित प्रयासों की आवश्यकता को रेखांकित करना है।

MCQ, Current Affairs, Daily Pre Pare

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com